

27.6.18

पत्रावली आयु के 14 कोर्ट पक्ष में पेक्षा हुई।
उपरोक्त के संबंधित वादपत्र का विस्तारण हो चुका है
इसलिए प्रस्तुत आ.पत्र का कोई भी चिपटा नहीं
रहा है। आ.पत्र द्वारा प्रस्तुत आ.पत्र की पुष्टि में
कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। आ.पत्र
नं. 39 वि.पत्र(क) इमी 202 पर शक्ति प्रमाण
किया है। पत्रावली के सलाहकार लेकर नभर के
काम हो तथा दारिद्र्य दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (सुप)